कार्यालय ग्राम पंचायत जवासिया पंचायत समिति रेलमगरा, (राजसमन्द)

क्रमांक :– ग्रा.पं. / निविदा / 2026–27 / 105 दिनांक :– 18.05.2026

ई–निविदा सूचना वित्तीय वर्ष 2026–27

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम पंचायत जवासिया में ग्रामवार वित्तीय वर्ष **2026–27** मे ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर–घर आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य की सेवाओं हेतु इच्छुक जी.एस.टी. पंजीकृत निविदादाताओं / फर्मो से निविदाएँ आमन्त्रित की जाती है। निविदा संबंधित समस्त दस्तावेज कार्यालय समय में **ग्राम पंचायत कार्यालय** से अथवा ऑनलाईन प्राप्त किये जा सकते है।

क.सं.	बोली का विवरण	अनुमानित कुल लागत राशि	बोली प्रतिभूति राशि (रूपये में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रूपये में)	M.D RISL शुल्क (रूपये में)	बोली प्रपत्र डाउनलोड एंव अपलोड शुरू करने की दिनांक व समय	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक व समय	बोली खोलने की दिनांक व समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानो) से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण,सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य	8.50 लाख	17000/-	500/-	500/-	19.05.2026 से 01.06.2026 (6.00PM) तक	02.06.2026 (1.00PM) तक	02.06.2026 (2.00PM) पश्चात

1. निविदा प्रपत्र कार्यालय **ग्राम पंचायत जवासिया** पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द से व्यक्तिशः अथवा **http://sppp.rajasthan.gov.in** एंव **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पोर्टल से डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एंव अमानत राशि के मूल डी0डी0 / बैंकर चैक / चालान की प्रति ऑनलाईन तकनीकी निविदा के साथ संलग्न कर अपलोड करनी होगी। साथ ही निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एंव अमानत राशि के मूल डी0डी0 / बैंकर चैक निविदा खोलने की दिनांक को 01 बजे तक जमा करानी होगी।
2. निविदा आमत्रंण की सम्पुर्ण सूचना मय बोली दस्तावेज सम्बन्धित कार्यालय ग्राम पंचायत से व्यक्तिशः अथवा राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल **http://sppp.rajasthan.gov.in** एंव **http://www.eproc.rajasthan.gov.in** पर भी देखा व प्राप्त किया जा सकता है।
3. निविदा प्रपत्र शुल्क एवं अमानत राशि के मूल डी.डी. / बैंकर चैक सरपंच / प्रशासक ग्राम पंचायत जवासिया के नाम बनाना होगा एंव ***प्रोसेसिंग शुल्क का निविदादताओ को निविदा प्रोसेसिंग फीस M.D RISL Jaipur के नाम ई–ग्रास चालान बजट मद – 8658–00–102–16–01 (सिविल विभाग) में निविदा के साथ जमा कराना होगा।***
4. निविदा प्रपत्र शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एंव प्रतिभूति राशि के डी0डी0 / बैंकर चैक को भौत्तिक रूप से **कार्यालय ग्राम पंचायत जवासिया** में जमा कराने वाले निविदादाताओं की ही तकनीकी बोली खोली जावेगी।
5. तकनीकी–वाणिज्यिक / क्वालिफाईड बिड उक्त वर्णित दिनांक को दोपहर 02 बजे कार्यालय पंचायत समिति रेलमगरा में उपस्थित बोलीदाता / संवेदक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष उपापन समिति द्वारा खोली जायेगी व तकनीकी बोली मे सफल बोलीदाता की ही वित्तिय बोली खोली जायेगी। संबंधित दिनांक को यदि निविदा किसी कारणवश नहीं खोली जाती है तो यह प्रकिया आगामी दिनांक तक जारी रहेगी।
6. उक्त निविदा केवल दर अनुबंध के लिए की जा रही है। संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा वित्तिय स्वीकृती जारी करने के उपरांत अनुबंधित फर्म को कार्यादेश जारी किये जाने एंव नियमानुसार रजिस्टर संधारित करने पर ही भुगतान किया जावेगा।
7. किसी भी निविदा को स्वीकार / अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का अधिकार उपापन समिति के पास सुरक्षित है।
8. निविदा के क्रम में उपापन समिति ग्राम पंचातय स्तरीय होगी।
9. यदि कोई निविदादता पंचायत समिति क्षेत्र में अन्य किसी 02 पंचायत मे सफल निविदादाता है ,तो उसे इस ग्राम पंचायत से कार्यादेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

लक्ष्मी जाट
प्रशासक
ग्राम पंचायत जवासिया
प. स. रेलमगरा (राजसमन्द)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत ...जवासिया............ पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द

तकनीकी निविदा प्रपत्र

1	निविदा सूचना संख्या	105 दिनांक 18.05.2026
2	कार्य का नाम	ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई, तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य
3	निविदादाता फर्म का नाम, पता मय दूरभाष/मोबाइल नं.	
4	निविदा अनुमानित लागत	राशि रु .... (निविदा सूचना अनुसार)
5	निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु 500/– डी.डी. नं /रसीद संख्या ....दिनांक ....
6	प्रोसेसिंग फीस का विवरण (MD RISL)	राशि रु 500/– डी.डी. नं/ चालान नं0 .... दिनांक..........................
7	अमानत राशि का विवरण/डी.डी. नं.	राशि रु .... डी.डी. नं......................दिनांक ....
8	फर्म का रजिस्ट्रेशन वर्ष व नम्बर	
9	फर्म का पेन न.	
10	फर्म का जीएसटी न. एंव जीएसटी रिर्टन मार्च 2026 तक	
11	शपथ पत्र (100रू0 के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)	
12	बैंक खाते का पूर्ण विवरण	
13	फर्म के पास उपलब्ध कचरा संग्रहण वाहनों का विवरण	
14	फर्म का टर्नओवर (गत तीन वर्षो का कार्य की लागत का 1/3 प्रतिशत न्यूनतम) का विवरण	
15	फर्म का कार्य अनुभव (न्यूनतम एक वर्ष सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं निजी संस्था में नाली/शौचालय/सीवरेज टेंक सफाई कार्य) का विवरण	
16	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एंव उन्मूलन) अधिनियम 1970	
17	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952	
18	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948	
19	राजस्थान दुकान एंव वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अर्न्तगत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत उपरजिस्ट्रार सहकारी समितिया अथवा पंजियन विभाग मे से किसी एक संसा में पंजिकृत का विवरण	

कार्यालय ग्राम पंचायत/पंचायत समिति जवासिया/जिला .... द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या...105 .दिनांक18.05.2026हेतु मेरे द्वारा/फर्म द्वारा दी गई उक्त जानकारी सत्य है तथा उक्त निविदा सूचना की शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है।

हस्ताक्षर निविदा दाता

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

निविदा शर्तें

निविदादाता हेतु निर्देश–

टिप्पणी :–निविदादाताओं को इन शर्तो को सावधानीपूर्वक पढना चाहिए तथा अपनी निविदाएं भेजते समय इनकी पूर्णरूपेण पालना करनी चाहिए।

1. **निविदाएं केवल ऑनलाईन ही स्वीकार की जावेगी। ई–टेंडरिग के लिए निविदादाता हेतु निर्देश–**

(अ) इन निविदाओं में इच्छुक निविदादाता निविदा प्रपत्रों को http://sppp.rajasthan.gov.in एवं http://www.eproc.rajasthan.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

(ब) निविदाओं में भाग लेने वाले निविदा दाताओं को इन्टरनेट साइट http://www.eproc.rajasthan.gov.in पर रजिस्टर्ड करवाना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सर्टिफिकेट इन्फॉरमेशन टेक्नोलोजी एक्ट 2000 के तहत प्राप्त करना होगा जो इलैक्ट्रोनिक निविदा में हस्ताक्षर करने हेतु काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सर्टिफिकेट सी0सी0ए0 द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते है। जिन निविदादाताओं के पास पूर्व में वैध डिजिटल सर्टिफिकेट है, उनकों पुनः लेने की आवश्यकता नहीं है।

(स) निविदादाताओं को निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फॉरमेट में उपरोक्त बेबसाइट पर डिजिटल हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना होगा। जिसके प्रस्ताव अकेले भौत्तिक फार्म में स्वीकार्य नहीं होगा।

(द) इलैक्ट्रोनिक निविदा प्रपत्रों को जमा कराने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवे कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित सभी आवश्यक दस्तावेज की स्केन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ सलंग्न कर दी गयी है।

(य) कोई भी निविदा इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में जमा कराने में किसी कारण से विलम्ब / लेट हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कार्यालय / विभाग नहीं होगा।

(र) निविदा के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पुर्ण रू॰ से भरकर ऑनलाईन दर्ज करे।

निविदा प्रपत्र इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in निविदा मे वर्णित दिनांक तक लिफाफा संख्या एक तकनीकी बिड एवं लिफाफा संख्या दो वित्तीय बिड ऑनलाईन कराये जा सकते हैं। डी.डी. व हार्डकोपी ग्राम पंचायत कार्यालय में निर्धारित तिथि व समय तक जमा करानी होगी। प्राप्त निविदा प्रपत्र/वित्तीय निविदाऐं इलेक्ट्रोनिक फोरमेट में वेबसाइट www.eproc.rajasthan.gov.in एवं www.sppp.rajasthan.gov.in पर कार्यालय विकास अधिकारी पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द निविदा मे वर्णित दिनांक एंव समयानुसार खोली जावेगी। संबंधित दिनांक को यदि निविदा नहीं खोली जाती है तो ये प्रक्रिया आगामी दिनांक तक जारी रहेगी।

(अ) निविदा जमा करवाने के बाद निविदा की दर तुलनात्मक विवरण तक प्रक्रिया ऑनलाईन होगी।

(ब) निविदा खोलने की तिथि को किसी कारणवश यदि सारी निविदाऐं नहीं खोली जा सकती है, तो उसके अगले कार्य दिवस शेष निविदाऐं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।

टेन्डर के प्रपत्रों में आवश्यक सभी सूचियों को सम्पूर्ण रूप से भर कर ग्राम पंचायत कार्यालय में लिफाफों में भरकर निर्धारित दिनांक को दोपहर 1:00 बजे पूर्व जमा करवाना सुनिश्चित करे।

2. यदि संवेदक / संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र संलग्न करे। (Resolution, Power of Attorney)
3. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012, नियम 2013 तथा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम एवं इस सम्बन्ध में वित्त विभाग, राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना, परिपत्र, गाईडलाईन आदेश, निर्देश आदि प्रभावी रहेंगे।
4. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्दीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।
5. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक/बोलीदाता ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि सम्पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ प्रस्तुत की जायेगी।
6. निविदादाता को इस प्रपत्र पर अंकित सभी दस्तावेजो की छायाप्रतियां स्वप्रमाणित कर इस तकनीकी निविदा प्रपत्र के साथ अपलोड करनी होगी।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

7. श्रम विधि नियम उपनियम व अधिसूचनाऐं आदि में दिये गये दिशा–निर्देशों की पालना एवं समस्त श्रम नियमों की पालना करने का दायित्व सेवा प्रदायकर्ता का होगा। श्रम विधि नियम उपनियम एवं अधिसूचनाओं की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए सेवा प्रदायकर्ता स्वयं उत्तरदायी होगा। सेवा प्रदायकर्ता को श्रम विधि नियम उपनियम तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं श्रमिक हित में जारी किये गये संशोधन की पालना करने का दायित्व ठेकेदार/सेवाप्रदाता का होगा, पालना नहीं करने की स्थिति में विभाग को निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
8. बोलीदाता को आवश्यकतानुसार/एक वर्ष तक अथवा आगामी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण होने तक अनुमोदित दर से कार्य जारी रखने होगें तथापि कार्य संतोषजनक होने पर आपसी सहमति से अनुबन्ध की अवधि नियमानुसार आगे बढाई जा सकेगी।
9. श्रम अधिनियम के प्रावधानों की पालना नहीं होने पर उनके विरूद्ध श्रमिक द्वारा श्रम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदादाता स्वयं के खर्चे से वाद का निस्तारण करायेगा। यदि अनुबन्ध अवधि में लगाये गये श्रमिक के साथ कोई दुर्घटना हो तो उससे होने वाले प्रत्येक दायित्व के लिए निविदादाता पूर्ण जिम्मेदार होगा। विभाग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. बोलीदाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को डीबार कराने की कार्यवाही करेगी।
11. संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
12. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता को होगा। संवेदक/बोलीदाता को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार समस्त श्रमिकों का नियमानुसार EPF, ESI जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिक की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक/बोलीदाता का अंशदान शामिल होगा। संवेदक/बोलीदाता द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के EPFऔर ESIके अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किऐ जाने पर ही संवेदक/बोलीदाता को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
13. संवेदक/बोलीदाता द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST)की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा कराने की जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की ही होगी। संवेदक/बोलीदाता द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।
14. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक/बोलीदाता का ही होगा।
15. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वों के लिए संवेदक/बोलीदाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
16. यदि संवेदक/बोलीदाता एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसके प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक/बोलीदाता की होगी। फर्म न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालना करने के लिए उत्तरदायी होगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

17. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने का औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों, के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा।

18. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के सम्बन्ध में/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ESI करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक/बोलीदाता का होगा, इसके लिये इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

19. बोली की विधि मान्यता वित्तीय बोली/प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन की अवधि के लिए विधि मान्य होगी।

20. बोलीदाता अपनी संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगा या भाडे (Sub-let)पर नहीं देगा।

21. जिस बोलीदाता को बोली स्वीकार की जायेगी, वह कार्यादेश जारी होने के 07 दिवस में कार्य प्रारम्भ करेगा।

22. मूल्यांकन की कसौटी – तकनीकी–वाणिज्यिक बोली में सफल/क्वालिफाईड बोलीदाता/संवेदक की न्यूनतम कीमत के आधार पर वित्तीय बोली/क्वालिफाईड बिड का मूल्यांकन किया जावेगा।

23. बोलियों का अपवर्जन :– अधिनियम की धारा 25 में उल्लेखित आधार पर बोली को अपवर्जित किया जा सकेगा।

24. सफल निविदा दाता द्वारा कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि सरपंच ग्राम पंचायत जवासिया के नाम पर डिमान्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक के रूप में जमा कराने के पश्चात् ही कार्यादेश जारी किया जावेगा। सफल बोलीदाता के करार निष्पादन पर और कार्य सम्पादन प्रतिभूति देने या उपापन प्रक्रिया के निरस्तीकरण पर शीघ्र ही बोली प्रतिभूति बोलीदाताओं को लौटा दी जावेगी।

25. बोली प्रतिभूति का समपहरण (Forfeiture of Bid security)बोली प्रतिभूति का निम्नलिखित मामलों में समपहरण) किया जा सकेगा :–

(क.) जब बोलीदाता बोली खुलने के बाद किन्तु बोली को स्वीकार करने के पूर्व अपने प्रस्ताव को वापस लेता है या उसमें रूपान्तरण करता है।

(ख.) जब बोलीदाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर करार निष्पादन नहीं करना है।

(ग.) जब बोलीदाता बोली स्वीकृति की सूचना के पश्चात कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है।

(घ.) जब सफल बोलीदाता निर्धारित सप्लाई अवधि में कार्य प्रारम्भ नहीं करता।

(ड़) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय–6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध को भंग करता है।

26. कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का समपहरण (Forfeiture of work Performance Security Deposit) :– कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नांकित मामलों में समपहरण किया जा सकेगा।

(क.) जब निविदा की शर्तो का उल्लंघन किया गया हो।

(ख.) जब बोलीदाता कार्य/सम्पूर्ण सेवा सप्लाई सन्तोषजनक ढंग से करने में असफल रहा हों।

(ग.) जब बोलीदाता सेवा सप्लाई/कार्य आदेश के अनुसार निर्धारित सप्लाई अवधि में सेवा की सप्लाई आरम्भ करने में असफलरहता हो। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि के समपहरण करने के मामलों में युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में उपापन संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

27. करार एवं कार्य सम्पादन प्रतिभूति :–

(अ.)बोली आमंत्रण में अंकित सेवा की आपूर्ति हेतु सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति आदेश पत्र की दिनांक से अधिकतम 7 दिन में सेवा के प्रदाय आदेश की रकम की तीन प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट/बैकर्स चैक संबंधित ग्राम पंचायत सरपंच के नाम पर जमा करानी होगीएवं नियमानुसार 500/–नॉन–ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर सामान्य एवं वित्तीय लेखा नियम में निर्धारित एस.आर. प्रारूप 17 में एक करार पत्र निषादन करना होगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

(ब.) सफल बोली दाता द्वारा , बोली प्रतिभूति की राशि को कार्य निष्पादन प्रतिभूति की राशि में समायोजन की जा सकती है या लौटायी जा सकती है, यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमाकराता है।।

(स.) कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि पर विभाग द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जायेगा।

28. भुगतान :–सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के अनुसार उचित प्रारूप में बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर नियमानुसार भुगतान किया जायेगा। अनुबंधित बोलीदाता द्वारा प्रत्येक माह का बिल भुगतान हेतु आगामी माह के प्रारम्भ के03 कार्य दिवस में प्रस्तुत किया जावेगा। विलम्ब से बिल प्रस्तुत करने पर भुगतान में होने वाले विलम्ब के लिएअनुबंधित बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
29. परिनिर्धारित क्षति (Liquidate Damages) :–सेवादाता फर्म द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार यदि सेवा उपलब्ध नहीं कराई जाती है, तो प्रतिदिन – रू. 1500/– की शास्ति लगाई जावेगी, जिसकी अधिकतम सीमा अनुबंध राशि से ज्यादा नहीं होगी।
30. निविदा प्रपत्र पर संवेदक/संस्था द्वारा हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
31. यदि संवेदक/संस्था द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया गया है तो अधिकृति प्रमाण पत्र (Resolution, Power Of Attorney) संलग्न करें।
32. संवेदक/बोलीदाता को दी जाने वाली EPF,ESIएवं जी.एस.टी की दरो में केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशो के अनुसार कमी या वृद्धि की जा सकेगी।
33. किसी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने या किसी बोली को निरस्त करने का उपापन समिति का अधिकार सुरक्षित है।
34. एम.एस.एक्ट 2013 की पालना एवं सुरक्षा उपायों तथा किसी प्रकार के मुआवजें का भुगतान स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किया जावेगा।
35. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं आर. आर.सी. पर कचरे का पृथक्कीकरण, बाजार/चौक/रोड़ पर झाडू/सफाई एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर सफाई हेतु वाहन/श्रमिक/सफाई उपकरण आदि उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा।
36. उपापन संस्था/ग्राम पंचायत द्वारा कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुसार नहीं करने पर गतिविधिवार/दैनिक राशि में कटौती की जा सकेगी।
37. सभी निविदा का न्याय क्षेत्र रेलमगरा जिला राजसमंद होगा।
38. किसी भी विवाद के लिए अन्तिम निर्णय संबंधित ग्राम पंचायत / विकास अधिकारी, पंचायत समिति का मान्य होगा।
39. क्षेत्र की सफाई में होने वाले समस्त प्रकार के व्यय संवेदक द्वारा वहन किये जायेंगे (जैसे डंडे वाली झाडू,फावड़े, परात, कसिया,डस्टबिन,पुशकार्ट,हेंड ग्लब्स, मास्क, सेफ्टी जूते, ऑवर कोर्ट, सबल परिवहन के साधन का मैन्टीनेंस आदि)।
40. निविदा में वर्णित कार्य का समय प्रातः 11 बजे से पूर्व तक रहेगा तथा समय परिवर्तन आपसी बातचीत से सरपंच/ग्रा.वि.अ. के निर्देशानुसार परिवर्तन किया जा सकेगा।
41. स्वीकृत बोलीदाता अथवा श्रमिकों द्वारा ग्राम पंचायत से किसी भी प्रकार के रोजगार की मांग नहीं की जा सकेगी।
42. कचरे का संग्रहण एवं पृथक्कीकरण एवं निस्तारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार आर.आर.सी. पर किया जायेगा, जिसमें प्लास्टिक कचरे का निस्तारण सम्मिलित है।प्लास्टिक कचरे का निस्तारण प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 (यथा संशोधित) के अनुसार करना होगा।
43. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
44. किये गये कार्य का सत्यापन एवं कार्य के भुगतान की अनुशंषा संबंधित वार्ड पंच, ग्राम पंचायत की समिति एवं ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
45. कार्य का सत्यापन किये जाने एवं भुगतान की अनुशंषा उपरांत भुगतान मासिक आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा।फर्म द्वारा बिल के साथ ग्राम स्तरीय कमेटी द्वारा उपापन विषय वस्तु के कार्य

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

विवरणानुसार मासिक रूप से प्रमाणित कराऐगा। कमेटी का प्रमाण पत्र पत्र प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जावेगा।

46. स्वीकृत बोलीदाता द्वारा किये गये कार्य का लॉगबुक/रजिस्टर (ग्राम पंचायत में संधारित) में दैनिक आधार पर इन्द्राज किया जायेगा।
47. ग्राम पंचायत में संधारित सफाई कार्य से संबंधित लॉगबुक/रजिस्टर का प्रतिदिन ग्राम विकास अधिकारी/सरपंच द्वारा निरीक्षण किया जायेगा एवं समय-समय पर जन प्रतिनिधि/पंचायत समिति/जिला के अधिकारी द्वारा निरीक्षण किया जायेगा।
48. यह निविदा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 में उल्लेखित नियम, राजस्थान लोक उपादान पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 एवं समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों के अधीन होगी।
49. सी.ए. के लेटर पेड पर निविदा में सलंग्न प्रमाण पत्र सलंग्न करना आवश्यक है।
50. फर्म द्वारा निविदा की नियमानुसार मात्रा में वृद्धि की सकेगी साथ ही निविदा में आवश्यकता होने पर नियमानुसार वृद्धि कमेठी में निर्णय के आधार पर की जावेगी।

मेरे द्वारा उपर्युक्त शर्तो को अक्षरशः पढ़ व समझ लिया गया है एवं उक्त शर्तो की पालना करते हुए मेरे द्वारा उपलब्ध करायी गयी दरों पर आप द्वारा वांछित सामग्री/सेवा निविदा में वर्णित स्पेसिफिकेशन के अनुसार उपलब्ध कराने को सहमत हूँ।

हस्ताक्षर निविदादाता

पता

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

विशेष शर्ते–

1. सफल निविदादाता को स्वच्छता कार्यो हेतु मांगे जाने पर ऐसे श्रमिक / मानव संसाधन जो परम्परागत कार्य करने वाले / पूर्व में सफाई कार्य के अनुभवी व्यक्तियों या इनके समूह को प्राथमिकता के अनुसार नियोजित करना होगा।
2. स्वीकृत बोलीदाता को ऑनलाईन ट्रेकिंग सिस्टम / पोर्टल लागू किये जाने पर वाहनों मे जीपीएस स्थापित करना होगा।
3. निविदादाता को कार्य करने वाले श्रमिको का माह के प्रथम सप्ताह मे मजदूरी भुगतान करना होगा, तथा श्रमिको के मजदुरी भुगतान में न्यूनतम मजदुरी अधिनियम की पालना की जायेगी।
4. निविदा की शर्तो में स्वच्छता का कार्य करने वाले श्रमिकों हेतु पी0पी0ई0 किट / सुरक्षा उपकरण संवेदक द्वारा आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाये जायेगे।
5. यदि संवेदक/ बोलीदाता द्वारा कार्य मशीनों के अतिरिक्त श्रमिकों को नियोजित कर लिया जाता है तो राज्य/ केन्द्र सरकार के नियमो के अनुसार श्रमिकों के समस्त दायित्वों (यथा ईपीएफ, ईएसआई आदि) की पालना संवेदक द्वारा की जायेगी।
6. कचरे का परिवहन ट्रोली में करते समय कचरा ढक कर ले जाना होगा।
7. श्रमिक द्वारा 08 घंटे से अधिक कार्य करने पर दुगनी दर से तथा 08 घंटे से कम कार्य करने पर न्युनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अनुसार भुगतान करना होगा।
8. संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोतित श्रमिकों को मजदुरी का भुगतान अनिवार्य रूप से ऑनलाईन माध्यम से उनके बैंक खातों मे ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक / बोलीदाता द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राशि का विवरण आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिंको के बैंक खातों मे जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत संतुष्टि होने पर संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
9. सफाई कें संबंध में प्राप्त शिकायत (ऑनलाईन / ऑफलाईन) का निस्तारण संबंधित फर्म को 24 घण्टे में अनिवार्य रूप से करना होगा अन्यथा प्रतिदिन रू0 500 का जुर्माना फर्म पर लगाया जा सकेगा।
10. कचरे के निस्तारण हेतु डम्पिंग यार्ड / आर0आर0सी0 का स्थान निविदा प्रपत्र में तय किया जायेगा। आर0आर0सी0 / तय स्थान से अधिक दुरी होने पर अनुपातिक रूप से भुगतान देय होगा।
11. संवेदक को सफाई कार्य हेतु नियोजित श्रमिको को श्रम विभाग के नियमो / अधिनियमों तथा समय –समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार अवकाश प्रदान करना होगा।
12. सामुहिक/ सामाजिक/धार्मिक/ शादी /मांगलिक आदि समारोह एंव हाट बाजार में उत्पन्न , कचरा का निस्तारण संवेदक द्वारा किया जायेगा।
13. संवेदक के पास सफाई कर्मचारियों हेतु काम में लिये जाने वाले उपकरण तथा सामान अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्थिति में होनें चाहिए।
14. सड़क / सार्वजनिक स्थान पर पेड़ों के पत्ते, छोटे ककंड पत्थर आदि की सफाई कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। बडे पत्थर का मलबा आदि का निस्तारण संबंधित द्वारा अलग से किया जायेगा।
15. ग्रामीण क्षेत्रो में पशुओं के बाड़े / तबैले के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर सफाई संवेदक द्वारा की जायेगी।
16. राजकीय विद्यालयो के बाहर एंव कमरो के बाहर अर्थात चारदिवारी के अन्दर कें सार्वजनिक परिसर में कचरा संग्रहण कार्य संवेदक द्वारा किया जायेगा। इसमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि स्वच्छता हेतु अनुदान या अन्य कोई राशि का व्यय इस कार्य हेतु नहीं किया गया हो।
17. सामुदायिक स्वच्छता परिसर में निर्धारित टॉयलेट सीट / युरिनल आदि (पुरूषों एंव महिलाओं की अलग–अलग शौचालय सीट एंव यूरिनल, वॉश–बेसिन आदि) के अतिरिक्त सीट / यूरिनल की सफाई करने पर पृथक से भुगतान देय होगा।
18. सफाई कार्य हेतु नियोजिन श्रमिकों का बीमा करवानें का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

हस्ताक्षर निविदा दाता

शपथ पत्र

(100 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

मैं..पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री ....उम्र............ निवासी ....तहसील.................जिला.............शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि –

1. मेरी फर्म/कम्पनी का नाम .... है।
2. मेरी फर्म/कम्पनी का जी0 एस0 टी0 पंजीयन संख्या ....है।
3. मैं इस फर्म /कम्पनी का प्रोपराइटर/ अधिकृत प्रतिनिधि हूँ ।
4. मेरी फर्म/कम्पनी किसी भी सरकारी विभाग/राजकीय उपक्रम/स्वायतशासी संस्था/सरकारी निगम/प्राईवेट संस्था मे ब्लैक लिस्टेड नही है।
5. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा सभी प्रकार के कर समय पर संबंधित विभाग मे जमा करवाये जाते है।
6. मेरी फर्म/कम्पनी द्वारा निविदा की शर्तों के अनुसार संलग्न किये गये वितीय वर्ष 2023–24 एवं वितीय वर्ष 2024–25 मे से किसी भी एक वितीय वर्ष मे निविदा की अनुमानित लागत के बराबर टर्नओवर एवं वितीय वर्ष 2025–26 के चतुर्थ तिमाही की जी.एस.टी. रिटर्न जमा करवाये जाने के अधिकृत दस्तावेज हेतु चार्टेड एकाउन्टेन्ट/फर्म... के द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र पूर्ण रूप से सत्य है ।

उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है । कोई भी कथन असत्य पाए जाने पर सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी स्वयं की होगी ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथ ग्रहिता सत्यापन करता/करती हूँ, कि उक्त शपथ पत्र मे वर्णित समस्त तथ्य मेरी निजी जानकारी एवं ज्ञान से सही एवं सत्य है ।

हस्ताक्षर
शपथ ग्रहिता

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

(TO BE ISSUED BY PRACTISING CHARTERED ACCOUNTANT ON THE LETTER HEAD)

(यह पत्र किसी कार्यरत चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा लेटर हेड पर जारी किया जाएगा)

To

Tender Inviting Authority/Block Development Officer

Panchayat Samiti------------------

Date:

Dear Sir,

Sub: Certificate for participation in Tenders issued by Gram Panchayat..... /Panchayat Samiti........

This is to certify that M/s ________________________________ (Agency Name & Address) are in the business of contracts execution for ______ completed years (considered upto ..... march ....). This is further certified that the above Turnover is in line with the Turnover declared by the Agency in their Audit Report/Income Tax Returns filed under PAN No: ____________

and

The above Turnover is in line with GST Returns submitted by the Agency under GSTIN No: ____________________ which are verified by us.

And

This is further certified that M/s ________________________________ (Agency Name & Address) has filed its GSTR for the month/quarter (as applicable) for the period ending march 2024 referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	GSTR 1	Qrtly/Monthly	
2.	GSTR 3B	Monthly	
3.	GSTR 4	Qrtly	

And

This is further certified that M/s ________________________________ (Agency Name & Address) has filed its ITR forthe preceding 03 (three) years are referred as below

S.No.	Particular	Periodicity	Date of filing
1.	ITR fy 2022-23	Yearly	
2.	ITR fy 2023-24	Yearly	
3.	ITR fy 2024-25	Yearly	

Also we hereby certify that the above mentioned entity has **'NO OUTSTANDING STATUTORYDUES'** as on the date of signing of this certificate for the period ending as on 31 March ....

Place:

Date: **UDIN:**

Charted accountant

Signaturewith Seal

Membership No

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

<u>निविदादाता द्वारा घोषणा</u>

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि जिस कार्य के लिए निविदा की गई है उसका मेरे/संस्था के पास कार्य पूर्ण अनुभव है। यदि यह घोषणा असत्य पाई जावें तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि की जा सकती है पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी धरोहर राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से जब्त की जा सकती है तथा निविदा को जिस भाग/सीमा तक स्वीकार किया गया है को रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत ...जवासिया........ पंचायत समिति रेलमगरा जिला–राजसमन्द राज.

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interest that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or

b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or

d. have a relationship with each other directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

e. the Bidder participates in more than one Bid in bidding process. Participation by a Bidder in more than on Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participate as Bidder, in more than one Bid; or

f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, words or services that are the subject of the Bid; or

g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to the hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Date **signature of bidderPlace**
name

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत ...जवासिया.. पंचायत समिति रेलमगरा जिला–राजसमन्द राज.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice Inviting Bids No..................... Dated .... I/we hereby declare under section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. **I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the bidding Document issued by the Procuring Entity;**
2. **I/we have fulfilled by/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the bidding document;**
3. **I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have , my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceeding for any of the foregoing reasons;**
4. **I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statement s or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceeding;**
5. **I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the bidding Document, which materially affects fair competition;**

Date	**signature of bidder**
place	**name**
designation	
Address	

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत जवासिया पंचायत समिति रेलमगरा जिला–राजसमन्द राज.

Annexure C: Grievance Redressal during procurement Process

The designation and address of the first Appellate Authority is BDO Panchyat samiti railmagra
The designation and address of the Second Appellate Authority is CEO Zila parishad Rajsamand

1 Filling an appeal

If any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring Entity is in contravention to the provision of the Act of the rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to first appellate authority, as specified in the bidding document with in a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be clearly giving the specific ground or grounds on which he fells aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceeding: Provided further that in case a procuring Entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids,. An appeal related to the matter of financial bids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under parl (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavourto dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3 If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2) or if the bidder of prospective bidder of the procuring entity, is aggrieved by the order passed by the first appellate authority the bidder or prospective bidder or the procuring entity as the case may be may file a second appeal to second Appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. Appeal not to lie in certain case

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters namely:-

(a) determination of need of procurement
(b) provisions limiting participation of bidders in the bid process
(c) the decision of whether or not to enter into negotiation
(d) cancellation of procurement process
(e) applicability of the provisions of confidentiality

5 form of appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed from along with as many copies as there are respondents in the appeal.
(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.
(c) Every appeal may be presented to first appellate Authority or second appellate authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

6. Fee for filling appeal

(a) Free for first appeal shall be rupess two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in india payable in the name of Appellate Authority concerned.

7.Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate authority or second appellate authority, as the case may be upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority or second appellate authority as the case may be, shall

(i) Hear all the parties to appeal present before him; and

(ii) Peruse or inspect documents relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c)After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of the order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub clause (c) above shall also be placed on the state public procurement Portal.

FORM No.1
(See rule 83)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

Memorandum of Appeal under the RajasthanTransparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No............................of.......................Before the.............. (First /second Appellate Autherty)

1. Particulars of appellant:

(i) Name of the appellant:

(ii) Official address, if any:

(iii) Residential address:

2. name and address of the respondent

(i)

(ii)

(iii)

3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer/ authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the procuring entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:

4. if the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:

5. number of affidavits and documents enclosed with the appeal:

6. Grounds of appeal:.......................................(Supported by an affidavit)

7. Prayer: ....

Place..

Date...............................

Appellant's Signature

Date

Place

Designation

Address

signature of bidder

name

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

कार्यालय ग्राम पंचायत जवासिया पंचायत समिति रेलमगरा जिला राजसमन्द

उपापन की विषय – वस्तु का विवरण

कार्य का नाम :– ग्राम पंचायत के समस्त गावों में घर एवं व्यवसायिक प्रतिष्ठानों से कचरा संग्रहण एवं पृथक्ककरण, सड़क एवं नाली सफाई तथा सामुदायिक स्वच्छता परिसर की सफाई सहित कार्य

ग्राम पंचायत :– जवासिया

ग्राम पंचायत में गांवो की संख्या एंव नाम :– 03 (सांवलपुरा, जवासीया, गांगास)

पंचायत समिति :– रेलमगरा

ग्राम पंचायत के अधीन गांवो में परिवारो की संख्या :– 751

ग्राम पंचायत के अधीन सामुदायिक स्वच्छता परिसरों की संख्या :– 03

क. स.	सामग्री विवरण	युनिट	मात्रा / संख्या	दर (रू0)	कितने दिन कार्य करवाया जाना है	अनुमानित मासिक लागत राशि (रू.)
1	घर–घर (आवासीय एवं व्यवसायिक) : से गीला एवं सूखा कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।					
	अ) जब वाहन ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध कराया जावे तथा वाहन हेतु ड्राईवर मय च्वस्ए संग्रहण कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य ।	परिवारों / दुकानो की संख्या	0	0.88	0	0
	(ब) जब वाहन, ड्राईवर मय PoL, श्रमिक कचरा संग्रहण मय निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाने सहित कार्य हेतु उपकरण, सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट एवं श्रमिक आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निपटान (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित कार्य) सम्मिलित है।	परिवारों / दुकानो की संख्या	751	2.63	15	29626.95
2	कचरे से Degradable & Non-Degradable Waste का पृथक्ककरण कार्य, कार्य हेतु उपकरण एवं सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराकर कार्य किया जावे, जिसमें कचरा पृथक्करण कर पृथक्करण (प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेन्ट नियम, 2016 यथा संशोधित के अनुसार संवेदक से प्लास्टिक कचरे का निस्तारण) में पाये गये प्लास्टिक अपशिष्ट का सुरक्षित निस्तारण / निपटान कार्य सम्मिलित है।	परिवारों की संख्या	751	0.45	15	5069.25
3	सड़क / बाजार / मुख्य चौक में झाडू एवं सफाई कार्य मय सफाई कार्य हेतु आवश्यक उपकरण क साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना तथा कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	वर्ग मीटर	8000	0.1	15	12000
4	नाली सफाई कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि संवेदक द्वारा उपलब्ध कराना सहित कचरे का निर्धारित कचरा संग्रहण स्थान (Dumping Yard) पर पहुंचाना।	घन मीटर	80	57.69	4	18460.8
5	सामुदायिक स्वच्छता परिसर (CSC) की सफाई का कार्य मय कार्य हेतु आवश्यक उपकरण, सीट, फर्श, टाईल्स सफाई हेतु आवश्यक सामग्री के साथ–साथ सुरक्षा उपकरण मय मेडिकल किट आदि सहित कार्य।	संख्या	3	49.08	15	2208.6
					कुल योग (मासिक)	67365.6
					कुल योग (वार्षिक	808387.2

लक्ष्मी जाट
प्रशासक
ग्राम पंचायत जवासिया
प. स. रेलमगरा (राजसमन्द)

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत, जवासिया
पं.स. रेलमगरा (राजसमन्द)

सहायक अभियंता (शिवसिंह मीणा)
पंचायत समिति रेलमगरा सहायक अभियन्ता
पं. स. रेलमगरा

मैं / मेरी फर्म / हमारी फर्म उक्तानुसार निविदा राशि से .... प्रतिशत (कम / ज्यादा) पर निविदा की शर्तो के अनुसार कार्य करना स्वीकार करता हुं / करते है।

हस्ताक्षर मय मोहर

निविदादाता